

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 100/2023(G:CMS : 2023/)

डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड, पता-एस-5 सैकिण्ड पलोर, गीजगढ ऑवर, हवा सड़क, सिविल लाईन जयपुर (राज.) जरिये-प्राधिकृत अधिकारी श्री अशोक मंगल

बनाम

1. श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति कुम्हार, पता वार्ड नम्बर-8, साधुवाली, श्रीगंगानगर(राज.)-335001 एवं पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर-8, गांव साधुवाली, श्रीगंगानगर (राज.)-335001
2. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति कुम्हार, पता वार्ड नम्बर-8, साधुवाली, श्रीगंगानगर(राज.)-335001 एवं पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर-8, गांव साधुवाली, श्रीगंगानगर (राज.)-335001
3. श्रीमती शांति देवी कुम्हार, पता वार्ड नम्बर-8, साधुवाली, श्रीगंगानगर(राज.) - 335001 एवं पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर-8, गांव साधुवाली, श्रीगंगानगर (राज.)-335001



12.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री पी.आर. घोड़ेला ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण भूपेन्द्र कुमार, कौशल्या देवी एवं शांति देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 20,91,000/- रुपये (अखरे रुपये बीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 14.12.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कौशल्या देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर 8, गांव साधुवाली, जिला श्रीगंगानगर-335001, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण भूपेन्द्र कुमार, कौशल्या देवी एवं शांति देवी को 20,91,000/- रुपये (अखरे रुपये छः लाख इक्यानवे हजार मात्र) के ऋण राशि की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

स्वीकृति दिनांक 14.12.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कौशल्या देवी ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर 8, गांव साधुवाली, जिला श्रीगंगानगर-335001, प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.01.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.02.2023 को जारी कर दिनांक 15.02.2023 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये हैं तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी कौशल्या देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर 8, गांव साधुवाली, जिला श्रीगंगानगर-335001, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.02.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 15.02.2023 को

ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कौशल्या देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी कौशल्या देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 97, बुक नम्बर 441, वार्ड नम्बर 8, गांव साधुवाली, जिला श्रीगंगानगर-335001, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर